राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(22)वित्त/कर/2018 जयपुर, दिनांक : 15.05.2018

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 04.05.2018 द्वारा राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी** के पद पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है।

आयुक्तालय, वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र दिनांक 10.05.2018 से यह अवगत कराया गया है कि अन्तिम वरिष्ठता सूची में कमांक 90 पर श्रीमती अनिता यादव का नाम अंकित है। इनका सिविल सेवा परीक्षा 2015 में भारतीय राजस्व सेवा में चयन उपरान्त इन्हे दिनांक 19.12.2016 को कार्यमुक्त किया जा चुका है। इसी प्रकार कमांक 113 पर अंकित श्री राजेन्द्र मोहन मीणा का चयन राजस्थान पुलिस सेवा में हो जाने से इन्हे दिनांक 15.09.2017 को कार्यमुक्त किया जा चुका है।

अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद उक्त तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त दोनो अधिकारियों का नाम सहवन से वरिष्ठता सूची में अंकित हो गया है।

अतः इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 04.05.2018 द्वारा राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी पद की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची में कम संख्या 90 पर अंकित नाम **श्रीमती अनिता यादव** तथा कम संख्या 113 पर अंकित नाम **श्री राजेन्द्र मोहन मीणा** को विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बंधित अधिकारी ....
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

F./Chetwani Ji/letter CCT 1055